

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

कार्यालय आदेश

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में GeM के माध्यम से सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए GeM के कार्यान्वयन हेतु डा० एन० विजयलक्ष्मी, सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का Competent Authority प्राधिकृत किया जाता है।

2. श्रीमती मधुरानी ठाकुर, अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का Primary User प्राधिकृत किया जाता है।

3. श्री ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का Verifying Authority प्राधिकृत किया जाता है।

(नोट :- विभाग में Verifying Authority संगठन के अन्तर्गत Primary User के समकक्ष स्तर, एक उपर स्तर अथवा एक नीचे स्तर के पदाधिकारी नहीं होने के कारण प्राधिकृत)

4. श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का Secondary User अंतर्गत Buyer एवं Consignee प्राधिकृत किया जाता है।

5. श्री सुमंजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा शाखा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का Secondary User के अंतर्गत Paying Authority प्राधिकृत किया जाता है।

6. उपरोक्त प्रस्ताव पर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मधुरानी ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

संख्या - 4 बजट 01/2017 - 1324 / पटना - 15, दिनांक - 16/04/2018

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, वित्त विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सचिव के निजी सहायक/श्रीमती मधुरानी ठाकुर, अपर सचिव/ श्री ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव/ श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को उपर्युक्त सभी Authority को Gov.in/nic.in का email id निर्मित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।